भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
31.07.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 1451 का उत्तर

दिल्ली-शामली-सहारनपुर रेल लाइन पर रेल उपरिपुल

1451. सुश्री इकरा चौधरी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली-शामली-सहारनपुर रेल लाइन पर वर्तमान में कितने रेलवे समपारों पर उपरिपुलों का निर्माण कार्य चल रहा है;

(ख) उक्त निर्माणाधीन उपरिपुलों को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(ग) रेलवे द्वारा उक्त कितने पुलों का कार्य पूरा कर लिया गया है परन्तु अन्य विभागों द्वारा अभी तक पहुँच पथ नहीं बनाया गया है; और

(घ) कार्य को समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा संबंधित विभाग के साथ क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने की संभावना है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): भारतीय रेल पर समपारों के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल (आरओबी)/निचले सड़क पुल (आरयूबी) के कार्यों को स्वीकृत करना सतत और गतिशील प्रक्रिया है। इस प्रकार के कार्यों को रेलगाड़ी संचालन में संरक्षा पर इसके प्रभाव, रेलगाड़ियों की आवाजाही और सड़क उपयोगकर्ताओं पर प्रभाव और व्यवहार्यता आदि के आधार पर शुरू किया जाता है।

दिल्ली-शामली-सहारनपुर रेल लाइन पर समपारों के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल (आरओबी) के निर्माण हेतु 07 अदद कार्यों को स्वीकृत किया गया है, जो आयोजना और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।

ऊपरी सड़क पुल (आरओबी)/निचले सड़क पुल (आरयूबी) के कार्यों को पूरा करना और उन्हें चालू करना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे रेलफाटक को समाप्त करने के लिए सहमति देने में राज्य सरकारों का सहयोग, पहुंच मार्ग संरेखण निर्धारित करना, सामान्य व्यवस्था आरेखण (जीएडी) का अनुमोदन, भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण हटाना, बाधक जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, परियोजना/कार्य स्थलों के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, जलवायु संबंधी परिस्थितियों आदि के कारण विशिष्ट परियोजना/क्षेत्र के लिए वर्ष में कार्य करने की अवधि आदि। ये सभी कारक परियोजनाओं/कार्यों के पूरा होने के समय को प्रभावित करते हैं।

रेलवे द्वारा कार्यों की प्रगति में शीघ्रता लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) सामान्य व्यवस्था आरेखण (जीएडी) कार्य को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित राज्य सरकार/सड़क स्वामित्व प्राधिकरण के साथ संयुक्त सर्वेक्षण किया जाता है ताकि सुचारू निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।
(ii) ऊपरी/निचले सड़क पुलों के कार्यों से संबंधित विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए रेलवे और राज्य सरकार के अधिकारियों की आवधिक बैठकें की जाती हैं।
(iii) डिजाइन अनुमोदन के दौरान विलंब से बचने के लिए रेलवे के हिस्से पर सड़क के स्पैन, तिरछेपन (स्क्यूनेस) और चौड़ाई के विभिन्न प्रकार के संयोजनों के लिए अधिसंरचना आरेखों का मानकीकरण किया गया है। इसे सार-संग्रह के रूप में जारी किया गया है जिसे त्वरित योजना हेतु रेलवे लाइनों पर ऊपरी सड़क पुल के लिए सीधे तौर पर अपनाया जा सकता है।
(iv) जहां भी संभव होता है, रेलवे द्वारा आरओबी/आरयूबी संबंधी कार्यों को एकल इकाई आधार पर निष्पादित करने की योजना है। यदि कोई सड़क स्वामित्व प्राधिकरण/राज्य सरकार चाहते हैं तो रेलवे द्वारा उन्हें एकल इकाई आधार पर कार्य निष्पादित करने की अनुमति दी जा सकती है।

*****